

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्राक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्राक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृतक/निःशकता का श्वेता, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० लालमोनी देवी, 39, अनु० जाति	श्री पुनीत दास (पति)	282/20.06.19	ग्रा०-सलौन, पो०-मटिया, धा०+प्र०-लक्ष्मीपुर, जमुई	340801100 73741	बिहार ग्रामीण बैंक, मटिया, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० पवितर दास, 63, श्री धनराज दास, अनु० जाति	श्रीमती निधिया देवी (पत्नी)	300/27.6.19	ग्रा०+पो०+धा०-चन्द्रमण्डौह, प्र०-चकाई, जमुई	341601100 74430	बिहार ग्रामीण बैंक, माधोपुर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत, मनरेगा मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 200000/-
(दो लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-51/2019 के पृष्ठ-4/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-51/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-51/2019-409

दिनांक-26-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 200000/- (दो लाख रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।